26.03.24

पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील पक्षकारान उपस्थित पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरानें बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करतें हुये कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावें। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, व पूर्व मे की गई पत्थगढी व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबित राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्रम श्योपुरा पटवार हल्का श्योपुरा के भूमि खसरा नं0 329 रकबा 2.39 हैक्टयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबित सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार कियें जाने योग्य है।

आदेश

प्रा0 पत्र 38/2018
निर्णय दिनांक 26.03.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्रम श्योपुरा में स्थित खसरा नम्बर 329 रकबा 2.39 हैक्ट. की प्रार्थी व सहखातेदार व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यमक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबित सीमाज्ञान दिनांक 13.05.2018 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवानें अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार चिड़ावा को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

26/03/2024
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)